



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

51-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 16, 2020 (CHAITRA 27, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2020

संख्या 36/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 45/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 45/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में, द्वितीय पैरा के बाद, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा तथा 20 मार्च, 2020 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

- “3. उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है और जिनको **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, किंतु जो देय तिथि तक उक्त सारणी के खाना (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मासों के लिए कर के भुगतान के साथ उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं किंतु उक्त सारणी के खाना (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित शर्त के अनुसार उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, प्रति वर्ष ब्याज की दर, नीचे दी गई सारणी (2) के खाना (3) में यथा विनिर्दिष्ट होगी, अर्थात्:—

सारणी (2)

क्रम संख्या (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (3)	कर अवधि (4)	शर्त (5)
1.	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	देय तिथि से प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य तथा उसके बाद नौ प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है

2.	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
3.	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाती है

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th April, 2020

No.36/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 read with section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.45/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.45/ST-2, dated the 30th June, 2017, after second paragraph, the following paragraph shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 20th March, 2020, namely:—

- “3. The rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table (2) given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:-

Table (2)

Serial Number (1)	Class of registered persons (2)	Rate of interest (3)	Tax period (4)	Condition (5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of June, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
			March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3 rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6 th day of July, 2020.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.